प्रदेश में 200 करोड़ से स्थापित होगा इथेनॉल संयंत्र

स्टेट ऑफ आर्ट मॉडर्न अस्पताल भी बनेगा

मुख्यमंत्री श्री जय राम ने कहा कि केन्द्रीय मंत्री ने राज्य में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के माध्यम से 200 करोड़ रुपये के निवेश से 200 के.एल. क्षमता का इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने का आश्वासन दिया है। इथेनॉल संयंत्र द्वारा अनाज से इथेनॉल बनाया जाता है, जिसे पेट्रोल और डीजल में मिश्रित करने से प्रदेश में वाहनों से उत्सर्जित प्रदूषण में कमी आएगी, इससे प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने यह जानकारी गत दिनों नई दिल्ली में केन्द्रीय पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान से भेंट करने के उपरांत जारी एक बयान में दी। राज्य में कोविड की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य को इस महामारी से लड़ने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्रीय मंत्री ने राज्य के लिए 1000 डी-टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर स्वीकृत किए हैं, जिनमें से 500 सिलेंडर प्रदेश को चुके हैं, जबकि 500 शीघ्र पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अस्पतालों में स्थापित करने के लिए आधा टन क्षमता वाले 10 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक और कारपोरेट सामाजिक दायित्व निधि के अन्तर्गत प्रदेश को 300 ऑक्सीजन कन्सट्रेटर मिलेंगे, जिससे प्रदेश की ऑक्सीजन क्षमता को बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यकता हुई तो शीघ्र ही बी-टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय मंत्री ने राज्य के लिए 60 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से स्टेट ऑफ आर्ट मॉडर्न अस्पताल स्वीकृति करने का आश्वासन दिया है।

मुख्यमंत्री की केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री से भेंट

मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव जे.सी. शर्मा बैठक में मुख्यमंत्री के साथ उपस्थित थे। उप आवासीय आयुक्त पंकज शर्मा भी उपस्थित थे।

HPExams.in
Let's do it together

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आबकारी नीति को स्वीकृति

मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर शिमला में मंत्रिमण्डलीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए

मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में गत दिनों शिमला में आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की गई। कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए मंत्रिमण्डल ने पूरे प्रदेश में पहले से लगाई गई सभी पाबंदियों सहित कोरोना कर्फ्यू 31 मई, 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया। बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि स्वास्थ्य विभाग प्रदेश में निजी अस्पतालों को उनके संस्थानों में टीकाकरण में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। विधायक सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी के साथ होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड रोगियों के कल्याण तथा उपचार सुनिश्चित करने की समीक्षा करेंगे।

मंत्रिमण्डल के निर्णय

- प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू 31 मई तक जारी
- निजी अस्पतालों को टीकाकरण के लिए किया जाएगा प्रोत्साहित
- स्वास्थ्य सहित विभिन्न विभागों में भरे जाएंगे 120 पद
- जिला कांगड़ा के सुलह विधानसभा क्षेत्र में नया राजकीय फार्मेसी महाविद्यालय

HPExams.in
Let's do it together !!

बैठक के दौरान वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आबकारी नीति को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके तहत इस वर्ष 1829 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित करने की परिकल्पना की गई है, जो वित्त वर्ष 2020-21 के मुकाबले 14 प्रतिशत वृद्धि के साथ 228 करोड़ रुपये अधिक है। मंत्रिमण्डल ने कोविड के कारण उत्पन्न वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत आबकारी वर्ष 2020-21 को एक माह बढ़ाकर 30 जून, 2021 तक करने का निर्णय लिया। नई आबकारी नीति प्रथम जुलाई, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक नौ महीनों के लिए लागू रहेगी। प्रदेश में पड़ोसी राज्यों से शराब की तस्करी को रोकने, शराब की कीमतों में कटौती करने तथा सरकारी राजस्व में पर्याप्त वृद्धि करने के उद्देश्य से खुदरा आबकारी ठेकों को यूनिट/ठेके की कीमत के तीन प्रतिशत की नवीनीकरण फीस पर वर्ष 2021-22 के लिए ठेकों के नवीनीकरण की मंजूरी प्रदान की गई। नई नीति के अनुसार आइएमएफएल के कम कीमत वाले ब्राण्ड सस्ते होंगे क्योंकि लाइसेंस फीस तथा एक्साइज ड्यूटी में कटौती तथा अन्तर जिला व जिले के भीतर कोटे के ट्रांसफर की सुविधा को स्वीकृति प्रदान की गई है। नई आबकारी नीति शराब निर्माताओं तथा बॉटलर्ज को देसी शराब के कोटे का 15 प्रतिशत रिटेल लाइसेंस धारक को आपूर्ति करने की सुविधा देगी। रिटेल लाइसेंस धारक शेष 85 प्रतिशत कोटा अपनी पसंद के आपूर्तिकर्ता से ले सकेंगे। यह पहले 30 प्रतिशत था। इसमें लाइसेंस फीस में पांच प्रतिशत और कोटे में

(शेष पृष्ठ सात पर)

प्रदेश में लागू की गई 'शगुन' योजना

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने गत दिनों शिमाला में कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा महत्त्वाकांक्षी योजना 'शगुन' पूरे प्रदेश में लागू कर दी गई है। इस योजना के अन्तर्गत विवाह अनुदान के रूप में 31000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार यह योजना प्रदेश भर में प्रथम अप्रैल से लागू मानी जाएगी। शगुन योजना के तहत बीपीएल परिवार से संबंधित ऐसे माता-पिता या संरक्षक अथवा स्वयं लड़की यदि उसके माता-पिता जीवित नहीं हैं या लापता हैं, को शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

विवाह अनुदान के रूप में लड़कियों को मिलेंगे 31 हजार रुपये

योजना के तहत लड़की की आयु 18 वर्ष से अधिक और वह हिमाचल प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए। यदि लड़की का विवाह ऐसे लड़के से होता है, जो हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी नहीं है तब भी वह विवाह अनुदान के लिए पात्र होगी।

योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए लड़की के माता-पिता या अभिभावकों द्वारा या बेसहारा होने की स्थिति में लड़की द्वारा स्वयं संबंधित बाल परियोजना अधिकारी, प्रभारी नारी सेवा सदन अथवा बालिका आश्रम के अधीक्षक को निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना होगा। ये अधिकारी आवेदन का सत्यापन करेंगे। संबंधित जिला के कार्यक्रम अधिकारी विवाह अनुदान स्वीकृत करने के लिए सक्षम अधिकारी होंगे। शगुन योजना के तहत यह प्रावधान किया गया है कि शादी की प्रस्तावित तारीख से दो महीने पहले राशि का भुगतान किया जा सकता है। यदि विवाह पहले ही हो चुका है तो विवाह के छः महीने के भीतर भी आवेदक अनुदान राशि के लिए आवेदन कर सकते हैं।

यदि आवेदक शादी के छः माह के बाद आवेदन करता है तो आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अनुदान राशि संबंधित आवेदक के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी।

hpexams.in

किसानों के लिए वरदान सिद्ध हुई 'व्यक्तिगत टैंक सिंचाई और ड्रिप स्प्रिंकलर' योजना

मौसम में बदलाव के साथ समय पर वर्षा न होने के कारण हर साल जल की कमी होने से किसानों व बागवानों को अपने खेतों व बगीचों में फल, फसल व सब्जियां इत्यादि तैयार करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसी ही समस्या जिला सिरमौर के सराहां विकास खण्ड के ग्राम पंचायत नारग के गांव चाकला के विनय तोमर को भी पेश आ रही थी। उनका कहना है कि समय पर बारिश न होने से खेतों में लगाई गई फसल व सब्जियां तैयार होने से पहले ही सूख कर बर्बाद हो जाती थी। खेतों में दिन-रात कड़ी मेहनत करने वाले विनय तोमर ने सिंचाई सुविधा के अभाव के कारण खेतों को बंजर ही छोड़ने का मन बना लिया था।

प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना की सहायता से उन्होंने 20 हजार लीटर क्षमता वाला पानी के टैंक का निर्माण किया है और अब इसकी सहायता से खेतों की सिंचाई भी कर रहे हैं। सिंचाई सुविधा मिलने से मक्की, गेहूं और जौ आदि पारंपरिक फसलों के अलावा अब वह टमाटर, आलू, लहसुन व मटर आदि नकदी फसलें भी उगा रहे हैं।

लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा किसानों व बागवानों के लिए चलाई गई 'व्यक्तिगत टैंक सिंचाई योजना' तथा 'ड्रिप और स्प्रिंकलर योजना' के बारे में पता चलने पर विनय तोमर के मन में फिर से खेती-बाड़ी करने की उम्मीद जगी। उन्होंने कृषि विभाग के उप-मंडलीय भू-संरक्षण अधिकारी कार्यालय राजगढ़ में संपर्क किया। संपर्क करने पर अधिकारी द्वारा उन्हें जानकारी दी गई कि प्रदेश सरकार द्वारा विभाग के माध्यम से किसानों को खेतों की सिंचाई के लिए जल भंडारण टैंक बनाने के लिए 50 प्रतिशत सहायता राशि प्रदान की जा रही है तथा ड्रिप और स्प्रिंकलर योजना के अर्न्तगत किसानों को 80 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।

विनय तोमर ने खेतों की सिंचाई के लिए 'व्यक्तिगत टैंक सिंचाई योजना' के तहत टैंक निर्माण तथा 'ड्रिप और स्प्रिंकलर योजना' के अन्तर्गत स्प्रिंकलर लगाने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज के साथ कृषि विभाग राजगढ़ में आवेदन किया। आवेदन करने के बाद कृषि विभाग द्वारा टैंक निर्माण तथा ड्रिप स्प्रिंकलर लगाने के लिए राशि प्रदान की गई।

प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना की सहायता से विनय तोमर ने 72 हजार रुपये की लागत से सिंचाई टैंक का निर्माण तथा 20 हजार रुपये व्यय कर स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली स्थापित की, जिस पर प्रदेश सरकार की ओर से उन्हें टैंक के निर्माण के लिए 36 हजार रुपये और स्प्रिंकलर के लिए 16 हजार रुपये यानि कि कुल मिला कर 52 हजार रुपये का उपदान दिया गया, जबकि विनय तोमर ने टैंक और स्प्रिंकलर के लिए केवल 40 हजार रुपये ही अपनी जेब से खर्च किए।

प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना की सहायता से उन्होंने 20 हजार लीटर क्षमता वाला पानी के टैंक का निर्माण किया है और अब इस की सहायता से खेतों की सिंचाई भी कर रहे हैं। सिंचाई सुविधा मिलने से मक्की, गेहूं और जौ आदि पारंपरिक फसलों के अलावा अब वह टमाटर, आलू, लहसुन व मटर आदि नकदी फसल भी उगा रहे हैं तथा मौसम शुष्क रहने या वर्षा न होने की स्थिति में फसलों की सिंचाई कर अच्छी आमदनी भी प्राप्त कर रहे हैं। इस बार उन्हें लगभग दो से तीन लाख रुपये का लाभ भी हुआ है।

श्री विनय तोमर ने इस योजना का लाभ प्रदेश के किसानों व बागवानों के खेतों तक पहुंचाने और कृषि उत्पादों को सिंचाई की बेहतर सुविधा प्रदान कर किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया है।

✍ सनम छेरिंग नेगी

पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार

राज्य को मिले वित्तीय सहायता

मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर ने केन्द्रीय मंत्री से 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, विशेषकर कांगड़ा, मंडी हवाई अड्डों में निवेश के लिए संसाधनों की कमी है, इसलिए राज्य के विकास के लिए वित्तीय सहायता महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री को बताया कि एशिया विकास बैंक (एडीबी) को वित्त पोषण के लिए 1892 करोड़ रुपये की एक पर्यटन परियोजना को मंजूरी वांछित है। उन्होंने इस परियोजना को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने राज्य को वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-2020 के लिए भारत सरकार से देय जीएसटी मुआवजा प्रदान करने का भी आग्रह किया। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से हिमाचल पन बिजली और अक्षय ऊर्जा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के वित्तपोषण के लिए विश्व बैंक के साथ बातचीत में तेजी लाने का भी आग्रह किया। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अन्तर्गत रज्जूमार्ग सम्पर्क को कनेक्टिविटी के लिए वैकल्पिक माध्यम के रूप में अनुमति देने पर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री ने भानुपल्ली-बिलासपुर रेल लाइन के बारे में चर्चा करते हुए हिमाचल प्रदेश के कम संसाधनों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय महत्त्व की सभी रेल परियोजनाओं को पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित करने का भी आग्रह किया। केन्द्रीय मंत्री ने राज्य को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव जे.सी. शर्मा और उप-आवासीय आयुक्त पंकज शर्मा भी मुख्यमंत्री के साथ इस अवसर पर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय वित्त मंत्री से उठाया 1892 करोड़ की पर्यटन विकास परियोजना की मंजूरी का मामला

उड़ान योजना में शामिल किया जाए चंबा हेलीपोर्ट : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर ने गत दिनों नई दिल्ली में केन्द्रीय नागरिक उड्डयन, आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भेंट की। इस अवसर पर श्री जय राम ठाकुर ने केन्द्रीय मंत्री के साथ राज्य से संबंधित विभिन्न मुद्दों, विशेष रूप से मण्डी जिले में प्रस्तावित हवाई अड्डे और राज्य के अन्य हवाई अड्डों पर चर्चा की।

मुख्यमंत्री ने बताया कि मण्डी हवाई अड्डे का एलआईडीएआर सर्वेक्षण 7 जून, 2021 से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि नागरिक उड्डयन मंत्री ने भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण को प्रस्तावित मण्डी हवाई अड्डे के निर्माण के लिए किए जा रहे अनुकरण अभ्यास में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि राज्य भूमि अधिग्रहण की लागत वहन करेगा जबकि नागरिक उड्डयन मंत्री ने आश्वासन दिया कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे कि मंत्रालय हवाई अड्डे की निर्माण लागत वहन करे।

श्री जय राम ठाकुर ने नागरिक उड्डयन मंत्री से हवाई सम्पर्क सुविधा को सुदृढ़ करने के लिए उड़ान योजना के तहत चंबा हेलीपोर्ट को शामिल करने का आग्रह किया क्योंकि यह एक आकांक्षी जिला भी है।

उन्होंने कहा कि नागरिक उड्डयन मंत्री ने शिमला हेलीपोर्ट के प्रभावी प्रबंधन के लिए संचालन नियमावली तैयार करने और बीसीएएस के माध्यम से 120 पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि पवन हंस लिमिटेड (पीएचएल) जल्द ही मनाली में सासे हेलीपैड का दौरा करेगा ताकि इसे शीघ्र ही कार्यशील किया जा सके।

मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा

रक्षा मंत्री के साथ विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं पर चर्चा

मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर ने नई दिल्ली में केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी भेंट की।

इस अवसर पर उन्होंने रक्षा मंत्री के साथ राज्य में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के बारे में चर्चा की। श्री जय राम ठाकुर ने उन्हें राज्य में कोविड-19 से निपटने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में अवगत कराया और सहयोग के लिए केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री को भारत-तिब्बत सीमा पर अपने दौरे के बारे में भी अवगत कराया।

मुख्यमंत्री ने जेपी नड्डा से भेंट की

मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर ने गत दिनों नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जे.पी. नड्डा से भेंट की। उन्होंने जे.पी. नड्डा से प्रदेश से जुड़े विभिन्न मामलों के बारे में चर्चा की।

इस अवसर पर उप आवासीय आयुक्त पंकज शर्मा भी मुख्यमंत्री के साथ थे।

सरकार के कल्याणकारी सद् प्रयासों से निखरा ग्रामीण परिवेश

प्रदेश सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए अनेक महत्त्वकांक्षी और कल्याणकारी योजनाएं आरम्भ की हैं। सरकार की इन योजनाओं से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों और रोजगार की संभावनाएं बढ़ी हैं।

सरकार प्रदेश की ग्रामीण आबादी की सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने पर भी विशेष बल दे रही है, जिसके अंतर्गत 3,226 पंचायतों को डिजिटल अंब्रेला के तहत कवर किया गया है और ग्रामीणों को इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ई-पंचायत के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2020 में प्रथम और वर्ष 2021 में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सभी पंचायतों में ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से ग्रामीणों को परिवार रजिस्टर की प्रतियां ऑनलाइन उपलब्ध हो रही हैं। इस सुविधा से पंचायतों के कामकाज में पारदर्शिता एवं दक्षता सुनिश्चित होने के अलावा जवाबदेही तय करने में भी सहायता मिली है।

ग्रामीणों को घर-द्वार पर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान लगभग 6.06 करोड़ कार्य दिवस अर्जित किए गए, जिसमें महिलाओं की भागीदारी 63 प्रतिशत रही। इस दौरान 1.32 लाख परिवारों ने 100 दिन से अधिक रोजगार प्राप्त किया जिस पर 1780.43 करोड़ रुपये व्यय किए गए। ग्रामीण विकास योजना के तहत पिछले तीन वर्षों में 7135 मकान निर्मित किए गए तथा मुख्यमंत्री आवास मुरम्मत योजना के तहत दो हजार लाभार्थियों को 5.68 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त राज्य के 12 जिलों के 80 विकास खण्डों में आजीविका मिशन चलाया जा रहा है।

सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के मानदेय में भी उल्लेखनीय वृद्धि की है। जिला परिषद अध्यक्ष का मानदेय आठ हजार से 12000 रुपये और पंचायती समिति के अध्यक्ष के मानदेय को पांच हजार रुपये से बढ़ाकर सात हजार रुपये किया गया है। ग्राम पंचायत प्रधानों के मानदेय को तीन हजार से बढ़ाकर 4500 रुपये प्रति माह और ग्राम पंचायत सदस्यों का बैठक भत्ता बढ़ाकर 250 रुपये प्रति बैठक किया गया है। इसके अलावा ग्राम पंचायतों में कार्यरत सिलाई शिक्षकों के मासिक पारिश्रमिक को बढ़ाकर 6800 रुपये किया गया है। पंचायत चौकीदारों को अब 5300 रुपये प्रति माह वेतन प्रदान किया जा रहा है। राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में भी कारगर प्रयास किए हैं। महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है ताकि महिलाओं के सशक्तीकरण के साथ-साथ ग्रामीण स्तर पर किए जा रहे विकास कार्यों में उनकी भागीदारी बढ़ाई जा सके। राज्य में कोविड-19 महामारी की शुरुआत से ही पंचायती राज संस्थाओं ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में क्वारंटीन केंद्र स्थापित करने में सहायता प्रदान करने के अतिरिक्त स्वच्छता जागरूकता और कोविड-19 से बचाव संबंधी उपायों के बारे में प्रचार सामग्री वितरित की। सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं और स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी से बड़े पैमाने पर मास्क बनाने के लिए अभियान चलाया गया। और प्रवासी श्रमिकों को रोजगार के साधन उपलब्ध करवाए गए।

ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है जिसके लिए पांच जिलों कांगड़ा, हमीरपुर, सोलन, मंडी और बिलासपुर में जिला संसाधन केंद्र स्थापित किए गए हैं। पंचायत स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी सम्बंधित सेवाएं एक छत के नीचे प्रदान करने के लिए राज्य में 598 सामान्य सेवा केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। पिछले तीन वर्षों में पंचायती राज संस्थाओं के 26500 प्रतिनिधियों और ग्राम पंचायत सचिवों को प्रशिक्षण दिया गया है। पंचायतों का पर्यावरण, जल संरक्षण तथा सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक करने में सहयोग लिया जा रहा है।

सरकार प्रदेश की ग्रामीण आबादी की सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने पर भी विशेष बल दे रही है, जिसके अंतर्गत 3,226 पंचायतों को डिजिटल अंब्रेला के तहत कवर किया गया है और ग्रामीणों को इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

अदिति चौहान

hpexams.in

पर्यावरणीय सरोकार और हम

प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वैश्विक संकट बन चुके वायु प्रदूषण और पर्यावरण पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में 1972 में हुई चर्चा के दौरान हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने की बात कही गई। दो वर्ष बाद 5 जून 1974 को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया जिसके बाद से हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस आयोजन का उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा के लिये जागरूकता फैलाना है। 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस समारोहों की मेजबानी भारत ने की और इसका थीम 'प्लास्टिक प्रदूषण' था। गत वर्ष अर्थात् 2020 में इसकी मेजबानी कोलंबिया कर रहा था और इसका थीम या विषय 'जैव विविधता' था। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का थीम 'पारिस्थितिकी तंत्र बहाली' है। इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा किया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस है तो हमें पर्यावरण की बड़ी चिंता होगी, जगह-जगह ऑनलाइन सेमिनार होंगे, ऑनलाइन सम्मेलन होंगे और यह विशेष दिवस एक दिन का उत्सव मात्र बनकर रह जाएगा। क्या साल के सिर्फ एक दिन हम इस मुद्दे पर बात करना, चर्चा करना और एक-दूसरे को जागरूक करना जरूरी समझते हैं ? क्या बाकी के 364 दिन हमें इस विषय पर बात करने तक की जरूरत नहीं महसूस होती ?

बचपन से सुनते आये हैं कि सभी को रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत होती है। ये चीजें जरूरी भी है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी ऐसी चीजें है जिनके बिना हम दुनिया में केवल और केवल कुछ ही मिनट रह पाएंगे। जो चीजें हमें प्रकृति ने मुफ्त में दी हैं। प्रकृति हमसे इन सभी चीजों के बदले में रुपये पैसे भी नहीं लेती है लेकिन हम बेखबर इन बातों को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। मुझे लगता है कि आज के समय सबसे पहली चीज जीने के लिए जरूरी है वो है हवा। इसके बाद जरूरी है जल। इसके बाद भोजन आता है। क्योंकि ये चीजें नहीं मिलेगी तो हम ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाएंगे। आइये जरा सोचें कि अगर ये नहीं होंगे तो क्या होगा ?

सबसे पहले जरूरत होती है हमें हवा की। हर एक प्राणी सांस लेता है। सबके पास घर हो या न हो, कोई गारंटी नहीं है लेकिन वो सांस जरूर लेगा। लेकिन आज प्रदूषण इतना फैल चुका है कि हमें शुद्ध हवा नहीं मिल पा रही है। जिस कारण हम बीमार होते जा रहे हैं। वृक्ष ही ऑक्सीजन का एकमात्र साधन है। लेकिन आज के समय पेड़ कटते जा रहे हैं। आबादी बढ़ती जा रही है। गाड़ियां, बाइक, ट्रक, स्कूटर आदि बढ़ते जा रहे है। फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला धुंआ हम अपने फेफड़ों में अंदर ले जाते जा रहे हैं। जरा सोचिये हम कैसे जी सकते हैं ? अगर पेड़ काटने बंद नहीं हुए तो एक दिन ऐसा आएगा कि कुछ सालों के बाद हम ऑक्सीजन सिलेंडर साथ लेकर घुमा करेंगे। पिछले दिनों कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। इसलिए अब सचेत हो जाये। इस पर्यावरण दिवस पर एक काम तो जरूर कीजिये कि अधिक से अधिक पेड़ लगाइये। केंद्र सरकार ने 'सेल्फी विद सैपलिंग' अभियान शुरू किया है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं।

हमें जीवन के लिए ऑक्सीजन चाहिए तो हमें पेड़ भी लगाना चाहिए। हमें पीने के लिए पानी चाहिए तो जल संरक्षण भी करना होगा। हमें अपने लिए घर बनाना है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को भी मकान निर्माण में जगह देनी होगी। जल संकट न हो, इसके लिए भूजल स्तर को बनाए रखना होगा। प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में सावधानी बरतनी होगी। तभी हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपने छोटे-छोटे प्रयासों से पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पेरिस लक्ष्य पूरा करने के लिए हमें 2020 से 2030 के बीच हर साल कार्बन उत्सर्जन को 7.6 प्रतिशत की दर से कम करना होगा। लांसेट जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार विश्व में प्रतिवर्ष 460 लाख डॉलर प्रदूषण जनित रोगों पर खर्च होते हैं, जो विश्व की कुल अर्थव्यवस्था का लगभग 6.2 प्रतिशत है। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2018 में भारत को 180 देशों की सूची में 177वां स्थान दिया गया है। जबकि वर्ष 2016 के पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक में भारत141वें स्थान पर था।

पिछले कुछ वर्षों से फसल अवशेष जलाने की घटनाओं में निरंतर वृद्धि हुई है। दिल्ली के पड़ोसी राज्यों हरियाणा और पंजाब में धान की फसल की कटाई के बाद खेतों को साफ करने के लिये उनमें आग लगा दी जाती है, जिसके चलते इससे उत्पन्न होने वाला धुआं दिल्ली की हवा को प्रदूषित कर देता है। यह हवा की गुणवत्ता, मिट्टी की उर्वरता और मानव स्वास्थ्य के लिये भी बेहद दुष्प्रभावी है। हमे अपने पर्यावरण को बचाने के लिए कई उपाय करने होंगे जैसे कि हमें वाहनों के उत्सर्जन मानकों को मजबूत करना होगा। इलेक्ट्रिक वाहनों को मुख्यधारा में लाना होगा। निर्माण कार्यों के कारण उड़ने वाली धूल पर नियंत्रण करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय जहाजों से होने वाले उत्सर्जन में कमी करनी होगी। औद्योगिक प्रक्रिया से जुड़े उत्सर्जन मानकों को बेहतर बनाना होगा। घरेलू अपशिष्ट को जलाने पर सख्त पाबंदी को लागू करना होगा। अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में बढ़ोतरी करनी होगी। फसल अवशेषों का बेहतर प्रबंधन करना होगा। वन भूमि में आग लगने की घटनाओं पर रोक लगानी होगी। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करना होगा। देश भर में प्लास्टिक के सामान का कम से कम प्रयोग करने और इसके कचरे के सही निष्पादन पर विशेष जोर दिया गया है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए आम लोगों की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। अगर प्रत्येक घर पर ही कचरे की छंटाई करके प्लास्टिक को अलग कर दिया जाए तो एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान अपने आप ही हो जाएगा। हालांकि पर्यावरण की गुणवत्ता को रातोंरात बहाल करना संभव नहीं है पर हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि पर्यावरणीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हम आगे की ओर बढ़ते रहें।

प्रत्यूष शर्मा

पशुधन से 40 हजार से अधिक परिवारों को मिला आर्थिक संबल

पशुधन जिला कुल्लू के किसानों के जीवन का अहम हिस्सा है। वर्तमान में जिला में गौधन की संख्या लगभग 1.56 लाख है जो 40 हजार से अधिक परिवारों के लिए अतिरिक्त आय का जरिया बनी हैं। किसान गौवंश से न केवल दुग्ध उत्पादन कर आय अर्जित कर रहे हैं, बल्कि फसलों तथा बागानों के लिए उपयुक्त प्राकृतिक खाद भी उपलब्ध हो रही है। बहुत से बागवान सेब, अनार व अन्य फलों को कीटों से बचाने के लिए गौमूत्र का छिड़काव करके इसका समुचित उपयोग करके कीटनाशकों रहित फसलें उगाकर अच्छे दाम अर्जित कर रहे हैं।

विभाग के उपनिदेशक संजीव नड्डा का कहना है कि पशु पालन विभाग लोगों की आर्थिकी को संबल प्रदान करने के लिए अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है। कुक्कुट विकास योजना जिला कुल्लू में गरीब लोगों की आमदनी का मुख्य स्रोत बनी है। योजना के अंतर्गत जिला में अधिक से अधिक पशु पालक आंगनबाड़ी कुक्कुट विकास योजना को स्वरोजगार के रूप में अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति में इजाफा कर रहे हैं। अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों के लिए संचालित की जा रही 200 चिक्स स्कीम के तहत अनुसूचित जाति के 40 हजार रुपये से कम आय वाले बीपीएल परिवारों के 65 लाभार्थियों को 100 प्रतिशत अनुदान पर 200 चूजे, आहार तथा चूजों के लिए दाना खाने तथा पानी पीने के बर्तन दिए गए।

गर्भित आहार वितरण योजना के तहत सामान्य वर्ग के 1860 बीपीएल लाभार्थियों को उनकी गर्भित गायों के लिए 50 प्रतिशत अनुदान पर 518.606 मीट्रिक टन गर्भाकाल आहार का वितरण कर लाभान्वित किया गया। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के 455 बीपीएल गरीब लाभार्थियों की भी गर्भित गायों को 50 प्रतिशत अनुदान पर 127.24 मीट्रिक टन गर्भाकाल आहार का वितरण कर लाभान्वित किया गया। इसके अतिरिक्त, उत्तम पशु पुरस्कार योजना में सभी वर्गों के 140 लाभार्थियों को जिनकी दुधारू गाय 15 लीटर से अधिक दूध देती हैं, प्रत्येक लाभार्थी को 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। इससे पशु पालक दूध तथा दूध से तैयार होने वाले उत्पादों को बेचकर अच्छे दाम कमा रहे हैं। मेंढ़ा वितरण योजना के तहत भेड़-पालकों को अच्छी नस्ल की भेड़ें पालने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जिला में 110 भेड़ पालकों को जिनके पास प्रति भेड-पालक 50 से अधिक भेड़ें हैं, 60 प्रतिशत अनुदान पर भेड़ों की नस्ल सुधार मैरिनो नस्ल के प्रजनन योग्य मेंढ़े वितरित किए गए।

पशुधन जिला कुल्लू के किसानों के जीवन का अहम हिस्सा है। वर्तमान में जिला में गौधन की संख्या लगभग 1.56 लाख है जो 40 हजार से अधिक परिवारों के लिए अतिरिक्त आय का जरिया बनी हैं। किसान गौवंश से न केवल दुग्ध उत्पादन कर आय अर्जित कर रहे हैं, बल्कि फसलों तथा बागानों के लिए उपयुक्त प्राकृतिक खाद भी उपलब्ध हो रही है।

नड्डा बताते हैं कि पशु उपचार/कृत्रिम गर्भाधान योजना में कोरोना काल के दौरान जिला के 21 पशु चिकित्सा संस्थानों में विभिन्न संक्रामक तथा असंक्रामक रोगों से ग्रसित एक लाख 16 हजार 637 पशुओं का उपचार किया गया। इसके साथ ही पशु पालकों को घर-द्वार पर सेवाएं प्रदान कर विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित 24 हजार 140 पशुओं का उपचार किया गया।

इस दौरान 54 हजार 461 गायों तथा 24 भैंसों में कत्रिम गर्भाधान भी किया गया। मुंह, खुर रोग के प्रति एक लाख 6 हजार 430 पशुओं में रोग प्रतिरोधक टीकाकरण, एन्ट्रोटाक्सीमिया रोग के प्रति 350 भेड़-बकरियों में टीकाकरण और पीपीआर रोग के प्रति 91 हजार 783 भेड़-बकरियों में टीकाकरण किया गया। कृमि नाशक/ कीटनाशक औषधीकरण योजना के तहत कोरोना काल के दौरान 3 लाख 31 हजार 432 भेड़-बकरियों में कृमिनाशक दवाई पिलाने के साथ तीन लाख तीन हजार 375 भेड़-बकरियों में कीटनाशक स्नान भी किया गया।

✍ आई. डी. राणा

संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार समय की मांग

पिछले कुछ दशकों में भारत ने अपनी सरकारों के प्रयासों तथा भारतीय विद्वानों, सैनिकों तथा अंतरराष्ट्रीय सिविल कर्मचारियों के काम के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रभावी योगदान दिया है। आज भी भारत विकास एवं गरीबी उन्मूलन, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, निशस्त्रीकरण, मानवाधिकार और विश्व शांति स्थापना के प्रयासों में संयुक्त राष्ट्र संघ का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहा है। 130 करोड़ आबादी के साथ भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश और एक उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति भी है।

भारत की विदेश नीति ऐतिहासिक रूप से विश्व शांति को बढ़ावा देने वाले देश के रूप में रही है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी वैश्विक संस्था की नीति निर्धारक सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता से भारत को वंचित तथा बाहर रखना अन्याय ही माना जाना चाहिए।

अपने पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने व्यापक स्तर पर विदेशों के दौरे किए थे। निश्चित तौर पर उनके ये दौरे मौज मस्ती और मनोरंजन के लिए ना होकर द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार, आर्थिक सौदों, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को मजबूती प्रदान करने के दृष्टिकोण से किये गए थे। उनकी विदेश यात्राओं से भारत के संबंध मजबूत हुए हैं और फायदेमंद भी साबित हो रहे हैं इसका सबूत संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद की अस्थाई सदस्यता के चुनाव में भारत को 193 देशों में से 184 देशों का विशाल समर्थन हासिल होना है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी विदेश यात्राओं तथा भारत आने वाले विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के साथ व्यक्तिगत रूप से द्विपक्षीय संबंधों को नई गरिमा,ऊर्जा,गति और बढ़ावा देकर एक नई शुरुआत की है। इतना ही नहीं भारत,जर्मनी,जापान और ब्राजील ने मिलकर जी 4 नामक समूह बनाया है और यह देश संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद की स्थाई सदस्यता के लिए एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय से ही रक्षा मिशनों में भारत महत्त्वपूर्ण योगदान देता आया है। अब तक विभिन्न शांति अभियानों में भारत के 180000 सैनिक हिस्सा ले चुके हैं। भारत ने 82 देशों के लगभग 800 शांति स्थापना अधिकारियों को प्रशिक्षित भी किया है। मौजूदा समय में संयुक्त राष्ट्र संघ शांति सैनिक दल में योगदान करने वाले सभी देशों में भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है। वर्तमान समय में भी भारत 11 यूएन मिशन और दो यूएन कार्यालयों को 6891 भारतीय सैन्य कर्मी और 782 पुलिसकर्मी उपलब्ध करवा रहा है। इससे विश्व में शांति और सौहार्द कायम करने की भारत की गहरी प्रतिबद्धता साबित होती है और यह प्रदर्शित होता है कि भारत संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितना विश्वास करता है।

प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ संस्था के स्वरूप, संगठन और उसके कार्यों में सुधार का जो मामला उठाया है यदि उस पर शीघ्र ही गौर न फरमाए गई तो आने वाले समय में संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी वैश्विक संस्था निश्चित तौर पर अपने अस्तित्व को लेकर संघर्ष करती नजर आएगी। यह संस्था पूर्णता एवं समग्रता में विश्व शांति और कल्याण के लिए अपनी सार्थकता सिद्ध कर पाए, इसके लिए विश्व के सभी देशों को मिलजुल कर प्रयास करने की जरूरत है।

अनुज कुमार आचार्य

संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष उसके चार्टर के अनुसार कई ऐसे मुद्दे भी हैं जो लम्बे समय से अपना हल निकलने की आस लगाए बैठे हैं। अभी पिछले वर्ष ही स्वीडन की पर्यावरण एक्टिविस्ट 16 वर्षीया ग्रेटा थनबर्ग ने संयुक्त राष्ट्र संघ में बोलते हुए कहा था कि आपने हमारा बचपन, हमारे सपनों को छीन लिया है। लोग मर रहे हैं और पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो रहा है। उनका कहना था कि विश्व के नेता कुछ नहीं कर रहे हैं।

किसी जमाने में परमाणु निशस्त्रीकरण संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख एजेंडे का हिस्सा हुआ करता था लेकिन बीते दो दशकों में यह मुद्दा जैसे पृष्ठभूमि में चला गया है। यद्यपि यूएन चार्टर का उद्देश्य विश्व समुदाय की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक प्रगति हेतु कार्य करना है ताकि संसार में समानता, स्वतंत्रता, सहयोग, न्याय, भ्रातृत्व, मित्रता व सुरक्षा का परिवेश निर्मित किया जा सके और युद्ध की नौबत ही न आए। विश्व को आज भी ताकत एवं आर्थिक आधार पर ही हांका जा रहा है। पाकिस्तान आज भी आतंकवादियों की जन्मस्थली बना हुआ है और वैश्विक शांति एवं सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है? उत्तर कोरिया और ईरान बेधड़क होकर परमाणु हथियारों की होड़ को बढ़ावा दे रहें हैं।

प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ संस्था के स्वरूप, संगठन और उसके कार्यों में सुधार का जो मामला उठाया है यदि उस पर शीघ्र ही गौर न फरमाए गई तो आने वाले समय में संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी वैश्विक संस्था निश्चित तौर पर अपने अस्तित्व के लेकर संघर्ष करती नजर आएगी। यह संस्था अपनी पूर्णता एवं समग्रता में विश्व शांति और कल्याण के लिए अपनी सार्थकता सिद्ध कर पाए इसके लिए विश्व के सभी देशों को मिलजुल कर प्रयास करने की जरूरत है।

टेलीमेडिसिन सेवा : बेहतर विकल्प

हिमाचल प्रदेश टेलीमेडिसिन सेवा मुहैया करवाने में बेहतर प्रदर्शन करने वाला पहला राज्य बन गया है। इस सेवा के माध्यम से न केवल दूरस्थ क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं बल्कि इससे समय और धन की बचत के अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार हो रहा है। कोविड महामारी के चलते प्रदेश में टेलीमेडिसिन सेवाएं वरदान साबित हो रही हैं। प्रदेश सरकार ने घर बैठे चिकित्सीय परामर्श प्रदान करने के लिए टेलीमेडिसिन (ई-संजीवनी ओपीडी व ई-संजीवनी पोर्टल) सेवा की शुरूआत अप्रैल 2020 में की थी, ताकि अस्पतालों में अनावश्यक भीड़ को नियन्त्रित कर कोरोना के खतरे को कम किया जा सके। प्रदेश में आईजीएमसी शिमला, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा और श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक मंडी में विशेषज्ञ हब के माध्यम से सेवाएं प्रदान की जा रही है। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में भी यह सेवाएं जल्द शुरू की जाएगी। स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के उभरते हुए इस डिजिटल स्वरूप की संभावना और सामाजिक प्रभाव को देखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'जहां बीमार, वहीं उपचार' के नारे पर अमल करते हुए प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन परामर्श तथा उपचार के लिए बिलासपुर स्थित एम्स के साथ लोगों को जोड़ने के लिए हिमाचल कोविड केयर एप्लीकेशन तथा ई-संजीवनी ओपीडी शुरू की है। इस सेवा के माध्यम से लोग अब घर बैठे ही एम्स के विशेषज्ञ चिकित्सकों के अनुभव का लाभ उठा रहे हैं। बिलासपुर एम्स में ई-संजीवनी ओपीडी सेवा शुरू होने के पहले दिन ही 60 रोगियों को टेलीमेडिसिन सेवाएं उपलब्ध करवाई गई। यही नहीं आम लोगों के साथ प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों और अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टर भी इन विशेषज्ञों से परामर्श ले सकते हैं। ई-संजीवनी ओपीडी रोगियों तथा चिकित्सकों के मध्य प्रभावी संचार सुनिश्चित करेगी तथा उन्हें विशेषज्ञों से उचित सलाह लेने के लिए सक्षम बनाएगी। टेलीमेडिसिन सेवा शुरू होने से रोगियों को घर बैठे ही एम्स के 35 विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। प्रदेश सरकार ने अब ई-संजीवनी ओपीडी के माध्यम से 12 घंटे स्वास्थ्य परामर्श चिकित्सा मुहैया करवाने का निर्णय लिया है। पहले डॉक्टर साढ़े नौ से चार बजे तक सेवाएं देते थे। अब अवकाश और रविवार के दिन भी ई-संजीवनी ओपीडी सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक कार्यशील रहेगी। इसके अलावा रोगी ई-संजीवनी पोर्टल के माध्यम से हेल्थ एंड वैलनेस केन्द्रों व उप-स्वास्थ्य केन्द्रों के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्सा अधिकारी, आईजीएमसी शिमला, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेरचौक में स्थापित तीन टेली हब विशेषज्ञों से टेली परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से अब तक 82283 और ई-संजीवनी ओपीडी के माध्यम से 1645 परामर्श सेवाएं प्रदान की जा चुकी है। मई माह में राज्य भर में ई-संजीवनी ओपीडी के माध्यम में वृद्धि दर्ज की गई है। जिला कांगड़ा ने 384 रोगियों को ऑनलाइन परामर्श देकर राज्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है जबकि शिमला में 230, हमीरपुर में 159, सोलन में 156 और मंडी में 152 रोगियों को परामर्श प्रदान किया गया है। सोलन में हैल्थ एंड वैलनेस केन्द्रों के मध्यम से सबसे अधिक 18,470 परामर्श दिए गए हैं जबकि मंडी और कांगड़ा में क्रमशः 14888 और 13,524 परामर्श दिए गए। इस समय प्रदेश में 90 प्रतिशत से अधिक कोरोना मरीज होम आइसोलेशन में रहकर उपचार ले रहे हैं। सरकार ने इनके लिए होम आइसोलेशन किट तथा हिमाचल कोविड केयर ऐप की शुरूआत की है। यह किट न केवल रोगियों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ देगी, बल्कि यह उनके हौसलों को भी बुलन्द करेगी जो एक मरीज के लिए बीमारी से लड़ने का सबसे कारगर हथियार होता है। कोविड केयर ऐप आइसोलेशन में रह रहे रोगियों की निगरानी के लिए एक प्रभावी व्यवस्था प्रदान करेगी। आज पूरा देश कोरोना महामारी के कारण गंभीर परिस्थिति से गुजर रहा है। बावजूद इसके प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के रोगियों को समय पर उपचार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों का समय रहते पता लगाने के लिए भी जांच में तेजी लाई है। कोविड-19 महामारी के इस दौर में टेलीमेडिसिन सेवाएं देने से न केवल एक विशाल डिजिटल परिवर्तन देखने को मिला है बल्कि देश में डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम को भी प्रोत्साहन मिला है।

ई-कॉमर्स शॉपिंग वेबसाइट्स से होगा हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम के उत्पादों का विपणन

देश-विदेश की नामी ई-कॉमर्स शॉपिंग वेबसाइट्स शीघ्र ही हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम के उत्पादों का विक्रय करेंगी। यह जानकारी उद्योग मंत्री श्री बिक्रम सिंह ने गत दिनों शिमला में हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम के निदेशक मंडल की 186वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने कहा कि ई-कॉमर्स शॉपिंग वेबसाइट अमेजन और फ्लिपकार्ट के साथ इस सम्बन्ध में जरूरी प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है। प्रदेश के हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम के उत्पादों में इन दोनों ही कम्पनियों ने गहरी रूचि दिखाई है। निगम के उत्पादों की उच्च गुणवत्ता के दृष्टिगत ई-कॉमर्स कम्पनियां इन्हें वैश्विक बाजार में विक्रय कर उपभोक्ताओं को घर-द्वार पर उपलब्ध करवाने के लिए बहुत उत्सुक है।

बिक्रम सिंह ने कहा कि इससे प्रदेश के उद्यमियों, कारीगरों और बुनकरों को ऑनलाइन व्यापार के माध्यम से लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि गत तीन वर्षों में निगम ने 3375 लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया है। इस वर्ष का टर्न ओवर लगभग 30 करोड़ रुपये रहा है।

निगम के उपाध्यक्ष संजीव कटवाल ने कहा कि विभिन्न उत्पादों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए दक्ष प्रयास किए गए हैं। कारीगरों व बुनकरों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने पर विशेष बल दिया जा रहा है।

इसके पश्चात हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम के निदेशक मण्डल की 219वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए उद्योग मंत्री ने कहा कि निगम का अनुमानित वार्षिक टर्नओवर लगभग 55 करोड़ रुपये और शुद्ध लाभ 4.83 करोड़ रुपये रहा है। बैठक में पीस रेटिड कर्मचारियों का मानदेय 10 प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इस अवसर पर आयोजित निगम के अंशधारियों की 46वीं वार्षिक बैठक में वर्ष 2018-19 के वार्षिक लेखों का अनुमोदन किया गया।

गत तीन वर्षों में निगम ने 3375 लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया

इसके पश्चात हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के निदेशक मण्डल की 236वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा इकाइयां स्थापित करने के निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 103 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया है। बोर्ड द्वारा 34.31 करोड़ रुपये लागत की 373 ईकाइयां स्थापित की गई तथा 11 करोड़ 43 लाख रुपये का अनुदान दिया गया है। इससे रोजगार के 2,984 अवसर सृजित हुए हैं। उन्होंने अधिकारियों को बोर्ड की विभिन्न योजनाओं का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अतिरिक्त मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने बोर्ड को बहुआयामी परियोजनाएं तैयार कर वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार को भेजने का परामर्श दिया।

बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल चौहान ने कार्यवाही का संचालन किया। बैठक में निदेशक उद्योग हंस राज शर्मा, बीओडी के सदस्य पिताम्बर लाल और सागर दत्त भारद्वाज, राज्य समन्वयक संजीव जस्टा तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

HPExams.in
Let's Go Together

हिम ईरा से मिली स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को नई पहचान

राज्य सरकार ने ग्रामीण महिलाओं के विकास के लिए स्वयं सहायता समूह गठित कर उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की एक अभिनव पहल की है, जिसके माध्यम से महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने के सपने को नई उड़ान मिल रही है।

राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत 24500 स्वयं सहायता समूह गठित किए गए हैं। इन समूहों से जुड़ी महिलाओं द्वारा बनाए गए गुणवत्तापूर्ण उत्पादों को वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने 'हिम ईरा' ब्रांड तथा लोगो को वित्त वर्ष 2019-20 में पंजीकृत किया है। इस ब्रांड के अंतर्गत अब सभी स्वयं सहायता समूह अपने उत्पाद बेच रहे हैं। हिम ईरा ब्रांड को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन हिम ईरा दुकानों और साप्ताहिक बाजारों को स्थापित कर रहा है। इस ब्रांड के माध्यम से लोगों को कम मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध करवाए जाते हैं। हिम ईरा ब्रांड से स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए जाने वाले उत्पादों को बड़े स्तर पर एक अलग पहचान मिल रही है। हिम ईरा दुकानों और साप्ताहिक बाजार, महिला मंडलों के उत्पादों को जन-जन तक उपलब्ध करवाने में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। इस पहल के माध्यम से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को उनके उत्पादों की बिक्री के लिए ग्राम पंचायत में स्थान उपलब्ध करवाया जाता है। इसके अतिरिक्त खंड स्तर पर साप्ताहिक मार्केट भी लगाई जाती है, जिसमें समूहों की महिलाएं सीधे तौर पर अपने उत्पाद लोगों को बेच सकती हैं। हिम ईरा दुकानों और साप्ताहिक मार्केट का मुख्य उद्देश्य समूह की महिलाओं को उनके उत्पादों की बिक्री के लिए एक मंच प्रदान करना है ताकि उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाया जा सके। इस प्रयास से महिलाओं की आर्थिकी सुदृढ़ होने के साथ-साथ स्थानीय लोगों को अपने घरों के आसपास ही कम मूल्यों पर घरेलु उत्पाद भी उपलब्ध हो रहे हैं।

हिम ईरा दुकानें और बाजार लघु और सीमांत किसानों तथा स्वयं सहायता समूहों द्वारा प्राकृतिक खेती से उगाए जैविक उत्पादों को बिना किसी बिचौलिए के बाजार उपलब्ध करवाने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न भागों में 100 हिम ईरा दुकानें स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है

आत्मनिर्भर भारत व वोकल फॉर लोकल मुहिम को भी मिला बल

✍ उपमा ठाकुर

जिसके अंतर्गत हर विधानसभा क्षेत्र में एक हिम ईरा दुकान को स्थापित किया जाएगा। अब तक प्रदेश के 46 स्थानों में हिम ईरा दुकानें स्थापित की जा चुकी हैं और राज्य के अलग-अलग 71 स्थानों में दुकानें स्थापित करने के लिए स्थान चयनित किए जा चुके हैं। इन दुकानों के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री के लिए एकल मंच प्रदान किया जा रहा है। फरवरी 2021 तक हिम ईरा दुकानों के माध्यम से एक करोड़ 20 लाख रुपये के उत्पादों की बिक्री दर्ज करवाई जा चुकी है। हिम ईरा साप्ताहिक बाजार विकास खण्ड कार्यालय परिसर या आस-पास के उपलब्ध स्थानों पर आयोजित किए जाते हैं। साप्ताहिक बाजारों के लिए ऐसे स्थानों का चयन किया जाता है, जहां स्वयं सहायता समूह और स्थानीय लोग उत्पादों को बेचने व खरीदने के लिए आसानी से पहुंच सकें। वर्तमान में अगस्त 2020 से जनवरी 2021 तक की अवधि में प्रति साप्ताहिक बाजार में 15000 रुपये से 22500 रुपये की औसत बिक्री दर्ज की गई है।

स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा विभिन्न विभागों, कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों व सरकारी कार्यालयों में स्थित कैंटीन में लोगों के लिए साफ सुथरा भोजन तैयार करने की एक नई पहल शुरू की गई है। इसके अन्तर्गत पहले चरण में तकनीकी शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश ने अपने 14 शैक्षणिक संस्थानों में स्वयं सहायता समूहों को हिम ईरा रसोई स्थापित करने के लिए निःशुल्क जगह देने पर सहमति व्यक्त की है, जिसके लिए स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों का चयन और प्रशिक्षण जारी है। सोलन जिला की आई.टी.आई. अर्की में हिम ईरा की पहली कैंटीन की स्थापना की गई है। भविष्य में योजनाबद्ध तरीके से अन्य शैक्षणिक संस्थानों व सरकारी विभागों में स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों द्वारा संचालित हिम ईरा रसोई की शुरूआत की जाएगी। इसी प्रकार हिम ईरा अन्नपूर्णा मीलस ऑन व्हील्स की भी एक अभिनव शुरूआत की गई है ताकि लोगों को गुणवत्तापूर्ण, स्वच्छ और घर का बना भोजन उपलब्ध करवाया जा सके। मुख्यमंत्री ने 10 मार्च, 2021 को शिमला में पहली हिम ईरा अन्नपूर्णा मीलस ऑन व्हील्स फूड वैन स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों को प्रदान की। इन दोनों महत्त्वपूर्ण कदमों से ग्रामीण महिलाओं को स्थायी आजीविका के अवसर मिलेंगे। प्रदेश सरकार के इन प्रयासों से प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के साथ वोकल फॉर लोकल मुहिम को भी बल मिल रहा है।

'स्वर्ण जयंती नारी संबल' नई पहल

राज्य सरकार ने समाज के कमजोर व पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के हित में अनेक कदम उठाकर उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया है। एक अप्रैल, 2021 से राज्य सरकार ने वर्ष 2021-22 में 40 हजार अतिरिक्त लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा वरिष्ठ महिलाओं के लिए विशेष योजना 'स्वर्ण जयंती नारी संबल' शुरू की गई है।

✍ संजय सैनी

राज्य सरकार ने अपने पहले ही निर्णय में राज्य के अधिक से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन की पात्रता की आयु सीमा को बिना किसी आय सीमा के 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष किया है। सरकार का यह निर्णय पिछड़े व कमजोर वर्गों के उत्थान के प्रति वचनबद्धता को दर्शाता है।

सरकार ने जहां समय-समय पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी की है वहीं कमजोर व पिछड़े वर्ग के लोगों को सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान की है।

वर्तमान राज्य सरकार ने अपने गत तीन वर्ष के कार्यकाल के दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 1,63,607 नए मामले स्वीकृत किए हैं। जिनमें वर्ष 2018-19 में 97,139, वर्ष 2019-20 में 23,442 और वर्ष 2020-21 में 43,026 नए मामले स्वीकृत किए गए है। राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में राज्य में कुल 5,77,604 पात्र व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है।

राज्य सरकार ने एक अप्रैल, 2020 से विधवाओं तथा दिव्यांगजनों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 850 रुपये से बढ़ाकर एक हजार रुपये प्रतिमाह किया है। 80 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के पात्र पेंशनरों तथा 70 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगजनों को राज्य सरकार 1500 रुपये प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान कर रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर राज्य सरकार लगभग 862 करोड़ की राशि व्यय कर रही है।

सरकार ने स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना के अन्तर्गत 65 वर्ष से 69 वर्ष तक की आयु की सभी पात्र वरिष्ठ महिलाओं को बिना आय सीमा के एक हजार रुपये प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जाएगी। इससे राज्य की लगभग 60 हजार महिलाएं लाभान्वित होंगी।

वरिष्ठ महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन का दायरा बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना भी शुरू की है। इस योजना के अन्तर्गत 65 वर्ष से 69 वर्ष तक की आयु की सभी पात्र वरिष्ठ महिलाओं को बिना आय सीमा के एक हजार रुपये प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जाएगी। इससे राज्य की लगभग 60 हजार महिलाएं लाभान्वित होंगी। इस योजना पर भी राज्य सरकार लगभग 55 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं।

hpexams.in

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में डिजिटल शिक्षा की परिकल्पना

भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निकट भविष्य में देश के शिक्षा ढांचे में बुनियादी परिवर्तनों की परिकल्पना की गई है। लेकिन यह प्रौद्योगिकी के न्यायसम्मत उपयोग के बिना संभव नहीं है। हाल के वर्षों में कोरोना जैसी वैश्विक महामारियों के कारण उत्पन्न हुई असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए भी यह जरूरी हो गया है कि जब पारंपरिक साधनों से शिक्षा संभव न हो, तो वैकल्पिक माध्यमों से शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। ऐसे माध्यमों में डिजिटल तथा ऑनलाइन शिक्षा प्रमुख है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शिक्षार्थियों की प्रगति की निगरानी के लिए शिक्षकों को सहायक उपकरणों के विकसित सेट प्रदान किए जाएंगे, जिसके लिए स्वयं, दीक्षा जैसे मौजूदा ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का विस्तार किया जाएगा। छात्रों के लिए मनोरंजन आधारित सामग्री उपलब्ध कराने हेतु ऐप आदि तैयार किए जाएंगे। इतना ही नहीं छात्रों को ई-सामग्री का प्रसार करने के लिए एक विश्वसनीय बैकअप तंत्र भी प्रदान किया जाएगा।

अभी भी हमारी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है, जिसकी डिजिटल पहुंच अत्यधिक सीमित है। नई शिक्षा नीति यह स्वीकार करती है कि ऑनलाइन या डिजिटल शिक्षा का लाभ तब तक नहीं उठाया जा सकता जब तक डिजिटल इंडिया अभियान जैसे ठोस प्रयासों द्वारा हमारी जनसंख्या के जीवन स्तरों में पाए जाने वाले इस डिजिटल अंतर को समाप्त नहीं किया जाता। ऐसा करने पर ही प्रौद्योगिकी के उपयोग में समानता लाई जा सकती है। इसके लिए टेलीविजन और रेडियो जैसे मौजूदा जनसंचार माध्यमों का उपयोग टेलीकास्ट और प्रसारण के लिए बड़े पैमाने पर किया जाएगा।

संस्कृत तथा भारत की अन्य शास्त्रीय भाषाओं जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओड़िया, पालि, फारसी और प्राकृत आदि के पठन-पाठन की सामग्री भी एक विकल्प के रूप ऑनलाइन मॉड्यूल के रूप में उपलब्ध होगी ताकि ये भाषाएं और साहित्य जीवित और जीवंत रहें।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जब एक बार इंटरनेट से जुड़े स्मार्टफोन या टैबलेट सभी घरों या स्कूलों में उपलब्ध हो जाएंगे तो क्विज, प्रतियोगिताओं, आकलन, संवर्धन सामग्री वाले ऑनलाइन ऐप और ऑनलाइन समुदाय विकसित किए जाएंगे।

वर्चुअल लैब बनाने के लिए दीक्षा, स्वयम और स्वयमप्रभा जैसे मौजूदा ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा, ताकि सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण व्यावहारिक और प्रयोग-आधारित अनुभव का समान अवसर प्राप्त हो सके। इन प्लेटफार्मों को शिक्षकों के ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि कम समय में अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सके। यह नहीं कहा जा सकता कि पारंपरिक कक्षा में एक अच्छा शिक्षक स्वचालित रूप से चलने वाली ऑनलाइन कक्षा में भी एक अच्छा शिक्षक सिद्ध होगा। इसलिए शिक्षकों को उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्हें ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफार्मों और उपकरणों का उपयोग करके उच्चतर गुणवत्ता वाली ऑनलाइन सामग्री का स्वयं सृजन करना भी सिखाया जाएगा। उन्हें खुद में सुधार करने के लिए अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन शिक्षक विकास मॉड्यूल तैयार किए जाएंगे तथा ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किए जाएंगे जिससे शिक्षक अपने विचारों और अनुभवों को साझा कर सकें।

ईसीसीई शिक्षकों के शुरूआती कैडर को तैयार करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों/शिक्षकों को डिजिटल व दूरस्थ माध्यम से डीटीएच चैनलों के साथ-साथ स्मार्ट फोन के माध्यम से भी प्रशिक्षित करने की योजना है, जिससे शिक्षकों को अपने वर्तमान कार्य में न्यूनतम व्यवधान के साथ ईसीसीई योग्यता प्राप्त करने में सुविधा हो।

अब राय

देवेन्द्र कुमार शर्मा

नई शिक्षा नीति यह मानती है कि व्यक्तिगत रूप से आमने-सामने सीखने के पारंपरिक तरीके का अपना महत्त्व है। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि ऑनलाइन शिक्षा की कुछ हानियां भी हैं। इन हानियों को कम करने के उपाय जानने और उसे पारंपरिक शिक्षा के साथ एकीकृत करने के लिए पायलट अध्ययन किए जाएंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूल के प्रधानाचार्य और स्कूल कॉम्प्लेक्स के प्रमुखों के लिए भी अपने लीडरशिप और मैनेजमेंट कौशल को लगातार विकसित करने के लिए ऑनलाइन विकास के अवसर उपलब्ध रहेंगे।

नई शिक्षा नीति यह मानती है कि व्यक्तिगत रूप से आमने-सामने सीखने के पारंपरिक तरीके का अपना महत्त्व है। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि ऑनलाइन शिक्षा की कुछ हानियां भी हैं। इन हानियों को कम करने के उपाय जानने और उसे पारंपरिक शिक्षा के साथ एकीकृत करने के लिए पायलट अध्ययन किए जाएंगे।

प्रत्येक विद्यार्थी छठी और आठवीं कक्षा में स्थानीय समुदायों द्वारा तय किए गए और स्थानीय कुशल आवश्यकताओं के अनुरूप एक आनंददायी कोर्स करेगा, जैसे कि बढ़ईगीरी, बिजली का काम, धातु का काम, बागवानी, मिट्टी के बर्तनों के निर्माण आदि। उसे छुट्टियों के दौरान भी ऑनलाइन माध्यम से व्यावसायिक कोर्स उपलब्ध कराये जा सकते हैं।

इस नीति के तहत समुदाय एवं शिक्षण संस्थानों में पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए शिक्षार्थियों की पुस्तकों तक पहुंच बढ़ाई जाएगी तथा पढ़ने की संस्कृति का निर्माण करने पर विशेष बल दिया जाएगा।

प्रौढ़ शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रौद्योगिकी-आधारित विकल्प, जैसे ऐप, ऑनलाइन कोर्स/मॉड्यूल, उपग्रह-आधारित टीवी चैनल, ऑनलाइन किताबें और आईसीटी से सुसज्जित पुस्तकालय और प्रौढ़ शिक्षा केंद्र आदि विकसित किए जाएंगे। गुणवत्तापूर्ण प्रौढ़ शिक्षा का संचालन ऑनलाइन या मिश्रित मोड में किया जा सकता है। भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित प्रत्येक भाषा के लिए अकादमी स्थापित की जायेगी। जो नियमित रूप से नवीनतम शब्दकोष जारी किया करेगी। ये शब्दकोष व्यापक रूप से प्रसारित किये जायेंगे तथा ऑनलाइन भी उपलब्ध होंगे।

शिक्षा में प्रौद्योगिकी कोई गंतव्य न होकर एक यात्रा के समान है। स्कूल और उच्चतर शिक्षा दोनों की ई-शिक्षा आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए शिक्षा मंत्रालय में डिजिटल बुनियादी ढांचे, डिजिटल सामग्री और क्षमता निर्माण की व्यवस्था करने के लिए एक समर्पित इकाई की स्थापना की जाएगी। जो न केवल भारत के आकार, विविधता, इक्विटी की चुनौतियों को हल करेगी, बल्कि तेजी से हो रहे प्रौद्योगीकीय बदलावों को ध्यान में रखते हुए भी सामग्री को भी समय-समय पर अद्यतन करेगी।

एनीमिया मुक्त हिमाचल : एक और उपलब्धि

एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में हिमाचल प्रदेश ने बड़ी उपलब्धि हासिल कर देशभर में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि इसलिए भी बड़ी है क्योंकि इस स्थान पर पहुंचने के लिए प्रदेश ने जो मेहनत की है वह निश्चित रूप से सराहनीय है। सूचकांक में पिछली बार हिमाचल का 18वां स्थान था। इस बार 15 पायदान ऊपर चढ़ कर तीसरे पायदान पर आना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। हिमाचल प्रदेश ने एक छोटा राज्य होने के बावजूद ऐसे कई मुकाम हासिल किए हैं जो इसे देश के बड़े-बड़े राज्यों के समकक्ष खड़ा करते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत ढांचा, सड़क, बिजली और पेयजल जैसे क्षेत्रों में हिमाचल ने ऐसे कार्य किए हैं जिन्हें न केवल देशभर में सराहा गया है बल्कि इन अच्छे कार्यों के लिए प्रदेश को समय-समय पुरस्कृत भी किया गया है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की राष्ट्रीय रैंकिंग में हिमाचल ने 57.1 का स्कोर प्राप्त किया है। सरकार ने हिमाचल को एनीमिया मुक्त करने की कवायद वर्ष 2019 में शुरू कर दी थी। लोगों को इस बीमारी से मुक्त करने के लिए सरकार ने पहले चरण में करसोग, कसौली और ठियोग क्षेत्र को चुना था, जहां स्वास्थ्य कार्यकर्ता पंचायतों में जाकर लोगों का इलाज करते थे। इसके बाद चंबा, हमीरपुर और शिमला में इस अभियान को लागू किया गया। तदोपरान्त सरकार ने सम्पूर्ण हिमाचल को एनीमिया मुक्त कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग को इस अभियान को गांव-गांव तक ले जाने के निर्देश दिए। राज्य सरकार के निरन्तर प्रयासों और नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में 57.1 स्कोर के साथ इस पहाड़ी प्रदेश ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। राज्य सरकार ने प्रदेश में एनीमिया मुक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत एक ठोस रणनीति तैयार की है और इस दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इस बीमारी का खात्मा करने के लिए स्कूलों में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि छात्रों को अन्य बीमारियों से बचाया जा सके। बच्चों को एनीमिया मुक्त करने के लिए रोग निरोधी आयरन और फॉलिक एसिड की खुराक प्रदान की जा रही है तथा बच्चों की नियमित रूप से डीवर्मिंग की जा रही है। इसके परिणामस्वरूप आज मृदा संचारित कृमि का प्रसार 3 वर्षों में 29 प्रतिशत से घटकर 0.3 प्रतिशत रह गया है जो कार्यक्रम की प्रभावशीलता और कार्यान्वयन को दर्शाता है। प्रदेश सरकार द्वारा लोगों को एनीमिया के बारे में जागरूक करने के लिए प्रदेशभर में वर्षभर जागरूकता अभियान चलाने के अतिरिक्त एनीमिया परीक्षण और उपचार पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य कार्यक्रमों में आयरन और फॉलिक एसिड फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों का अनिवार्य प्रावधान किया गया है। वर्तमान में भारत एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता के रूप में एनीमिया वाले देशों में से एक है। देश की लगभग 50 प्रतिशत गर्भवती महिलाएं, पांच वर्ष से कम आयु के 59 प्रतिशत बच्चे, 54 प्रतिशत किशोरियां और 53 प्रतिशत गैर गर्भवती गैर-स्तनपान करवाने वाली महिलाएं एनीमिक है। वर्ष 2005 से 2015 तक एनीमिया की कमी में धीमी प्रगति को देखते हुए भारत सरकार ने समग्र पोषण के लिए प्रधानमंत्री की व्यापक योजना के तहत एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम शुरू किया जिसके तहत प्रतिवर्ष 3 प्रतिशत एनीमिया को कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। कार्यक्रम में 6-59 महीने के बच्चों, किशोरों, 15-40 वर्ष की प्रजनन आयु की महिलाओं को शामिल किया गया है। एनीमिया मुक्त भारत का उद्देश्य सभी हितधारकों को ट्रिप्पल सिक्स (6-6-6) रणनीति को लागू कर निवारक और उपचारात्मक तंत्र प्रदान करना है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश को एनीमिया मुक्त बनाने के उद्देश्य से विभिन्न स्थानों पर इस सम्बन्ध में जागरूकता अभियान चला कर भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हिमाचल एनीमियामुक्त सूचकांक में अग्रणी स्थान प्राप्त कर राज्य सरकार के सफल प्रयासों को इंगित करता है।

मुख्यमंत्री ने किया कोविड केयर ऐप व ई-संजीवनी ओपीडी का शुभारम्भ

मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर ने गत दिनों पीटरहॉफ शिमला से होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड-19 के रोगियों के लिए होम आइसोलेशन किट

मरीजों को मिल सकेगा ऑनलाइन परामर्श

का शुभारम्भ किया। उन्होंने ऑनलाइन परामर्श तथा उपचार के लिए बिलासपुर स्थित एम्स के साथ लोगों को जोड़ने के लिए हिमाचल कोविड केयर एप्लीकेशन तथा ई-संजीवनी ओपीडी का भी शुभारम्भ किया। उन्होंने प्रदेश के विभिन्न भागों के लिए होम आइसोलेशन किट के 11 वाहनों को भी हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।

इस अवसर पर श्री जय राम ठाकुर ने कहा कि यह किट संबंधित विधायकों द्वारा होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड-19 के रोगियों को वितरित की जाएगी। उन्होंने निर्वाचित प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि रोगियों को शीघ्र यह किट उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

श्री जय राम ठाकुर ने कहा कि ई-संजीवनी ओपीडी रोगियों तथा चिकित्सकों के मध्य प्रभावी संचार सुनिश्चित करेगी तथा उन्हें विशेषज्ञों से उचित सलाह लेने के लिए सक्षम बनाएगी। उन्होंने कहा कि कोविड केयर ऐप आइसोलेशन (शेष पृष्ठ 7 पर)

सतत विकास में हिमाचल द्वितीय

सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में हिमाचल प्रदेश ने ऊंची छलांग लगाई है। नीति आयोग द्वारा गत दिनों जारी की गई रैंकिंग में इसका खुलासा हुआ है। सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) इंडिया इंडेक्स 2020-21 में हिमाचल प्रदेश देश भर में दूसरे नंबर आ गया है, जबकि केरल एक बार फिर शीर्ष स्थान पर काबिज है। केरल को 75 और हिमाचल को 74 अंक मिले हैं। हिमाचल प्रदेश के साथ-साथ तमिलनाडु भी दूसरे स्थान पर रहा है। इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। इस रैंकिंग के तहत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर प्रगति का आकलन किया जाता है। इस साल बिहार, झारखंड और असम सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों राज्यों में शामिल हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने वीरवार को एसडीजी इंडेक्स का तीसरा एसडीजी इंडेक्स जारी किया। केंद्र शासित प्रदेशों में 79 अंकों के साथ चंडीगढ़ पहले नंबर, जबकि 68 अंकों के साथ दिल्ली दूसरे स्थान पर रहा। वर्ष 2020-21 में सबसे ज्यादा फायदा मिजोरम, हरियाणा और उत्तराखंड को हुआ। इन तीनों राज्यों के अंकों में 2019 की तुलना में क्रमशः 12, 10 और 8 अंकों की बढ़ोतरी हुई। उत्तराखंड, गुजरात, (शेष पृष्ठ 7 पर)

सामाजिक-आर्थिक विकास व पर्यावरणीय मापदंड हैं रैंकिंग के आधार

hpexams.in

महिलाओं एवं बालिकाओं का सुरक्षा कवच 'वन स्टॉप सेंटर'

कोविड-19 महामारी के संकटकाल में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा एवं आपात स्थिति में परामर्श प्रदान करने के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्य किया जा रहा है। सेंटर में जहां अखिल भारतीय स्तर पर 1098 नम्बर कार्यरत है वहीं जिला बाल संरक्षण इकाई सोलन द्वारा भी इस दिशा में सतत कार्य किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं की सुविधा के लिए जिला में एक ओर जहां वन स्टॉप सेंटर कार्यरत हैं वही ऐसी महिलाएं एवं बालिकाएं हेल्पलाइन नम्बर पर भी यह जानकारी दे सकती हैं।

सोलन जिला का वन स्टॉप सेंटर क्षेत्रीय अस्पताल सोलन के मुख्य चिकित्सा अधिकारी भवन के ब्लॉक-बी में कार्यरत है। वन स्टॉप सेंटर योजना का मुख्य उद्देश्य निजी और सार्वजनिक स्थल, परिवार, समुदाय तथा कार्यस्थल पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं की सहायता एवं उन्हें समर्थन प्रदान करना है। वन स्टॉप सेंटर में शारीरिक, यौन, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक तथा आर्थिक दुर्व्यवहार से पीड़ित महिलाओं को चिकित्सा, कानूनी, मनोवैज्ञानिक एवं परामर्श सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है।

वन स्टॉप सेंटर में ऐसी महिलाओं एवं बालिकाओं को 05 दिन के लिए अस्थाई आवास जैसी सुविधा भी प्रदान की जा रही है। यह सभी सुविधाएं 24x7 उपलब्ध हैं।

जिला कार्यक्रम अधिकारी सुरेंद्र तेगटा के अनुसार गत 03 वर्षों में वन स्टॉप सेंटर सोलन द्वारा 186 मामले सफलतापूर्वक निपटाए गए हैं। यहां 186 महिलाओं को अस्थाई आवास, 177 महिलाओं को मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक परामर्श, 91 महिलाओं को पुलिस सहायता, 28 महिलाओं को कानूनी सहायता तथा 25 महिलाओं को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। वन स्टॉप सेंटर में पीड़ित महिला अथवा बालिका के पहुंचने पर सर्वप्रथम मामला दर्ज किया जाता है और पेशेवर परामर्शदाता के माध्यम से उनकी शिकायत का कारण जाना जाता है। उन्होंने कहा कि शिकायत के विश्लेषण एवं पीड़िता की इच्छा के अनुसार आवश्यक सेवाएं प्रदान की जाती हैं। यह प्रयास किया जाता है कि महिला अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहें। ऐसा न होने की स्थिति में अथवा महिला की देखभाल सुनिश्चित न होने पर उन्हें नारी निकेतन शिमला अथवा अन्य सुरक्षित संस्थान में भेजा जाता है। पीड़ित महिलाएं अथवा बालिकाएं वन स्टॉप सेंटर सोलन में दूरभाष नम्बर 01792-220181, जिला कार्यक्रम अधिकारी के मोबाइल नम्बर 70186-04213 अथवा केन्द्र की संस्थापक नीलम मेहता से मोबाइल नम्बर 70189-28762 पर सम्पर्क कर सकती हैं।

वन स्टॉप सेंटर योजना का मुख्य उद्देश्य निजी और सार्वजनिक स्थल, परिवार, समुदाय तथा कार्यस्थल पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं की सहायता एवं उन्हें समर्थन प्रदान करना है।

पीड़ितों की सहायता के लिए सोलन जिला में सभी बाल विकास परियोजना अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। बाल विकास परियोजना अधिकारी सोलन से उनके मोबाइल नम्बर 94186-09675, बाल विकास परियोजना अधिकारी कण्डाघाट से उनके मोबाइल नम्बर 98160-32650, बाल विकास परियोजना अधिकारी धर्मपुर से उनके मोबाइल नम्बर 94180-21640, बाल विकास परियोजना अधिकारी अर्की एवं नालागढ़ से मोबाइल नम्बर 94183-92796 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

निःसंदेह वन स्टॉप सेंटर पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक तथा संबल प्रदान करने के लिए बेहतरीन कार्य कर रहा है।

✍ हेमन्त वत्स

hpexams.in

पर्वत धारा से होगा जल स्रोतों का संरक्षण

योजना के तहत वन विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 में 2.76 करोड़ रुपये व्यय किए गए, जिसमें लगभग 110 छोटे-बड़े तालाब, 600 विभिन्न प्रकार के चैक डैम व चैक वॉल, 12 हजार कन्टूर ट्रैंच के साथ-साथ पौधरोपण इत्यादि के कार्य शामिल हैं।

प्रदेश सरकार राज्य में जल स्रोतों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में सरकार ने जल स्रोतों के संवर्धन तथा भू-जल में वृद्धि के लिए 'पर्वत धारा योजना' आरम्भ की है। यह योजना वन विभाग द्वारा 20 करोड़ रुपये व्यय कर वन क्षेत्रों में लागू की जा रही है। इस योजना को प्रदेश में लाहौल-स्पीति एवं किन्नौर जिलों को छोड़कर शेष जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसमें जल शक्ति विभाग नोडल विभाग के तौर पर कार्य कर रहा है। हिमाचल प्रदेश में दो-तिहाई भू-भाग में वन है तथा लगभग 27 प्रतिशत भू-भाग पर हरित आवरण है इसलिए पर्वत धारा योजना के क्रियान्वयन में वन विभाग की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

इस योजना के अन्तर्गत विलुप्त हो रहे जल स्रोतों के जीर्णोद्धार तथा ढलानदार खेतों में सिंचाई उपलब्ध करवाने के लिए वन विभाग द्वारा छोटे-बड़े जल संचयन ढाचों का निर्माण कार्य आरम्भ किया गया है। योजना के अन्तर्गत जल सग्रंहण, जलाशयों के निर्माण के साथ-साथ उनका रख-रखाव तथा प्रबन्धन किया जा रहा है। इन कार्यों से भू-जल स्रोतों के जीर्णोद्धार के साथ-साथ ग्रीष्म ऋतु में सिंचाई का भी प्रावधान सुनिश्चित होगा। इस योजना के तहत वन विभाग ने वर्ष 2020-21 में दस वन मण्डलों में पायलट आधार पर कार्य आरम्भ किया है, जिसमें बिलासपुर, हमीरपुर, जोगिन्दरनगर, नाचन, पार्वती, नूरपुर, राजगढ़, नालागढ़, ठियोग तथा डलहौजी वन मण्डल शामिल है। इस योजना के तहत उपरोक्त वन मण्डलों में विभिन्न स्थानों पर छोटे-बड़े तालाबों की साफ-सफाई एवं रख-रखाव के कार्य किए गए तथा नए तालाबों, कंटूर ट्रैंच, बांधों, दीवारों व भू-स्खलन को रोकने के लिए

✍ ममता नेगी

चैक डैम, डंगे व दीवारों का निर्माण इत्यादि किया गया।

इस योजना का उद्देश्य धरती पर अधिक समय तक पानी का ठहराव है, जिससे जल स्तर में वृद्धि होगी। इसके लिए उपरोक्त निर्माण कार्यों के अतिरिक्त वनस्पति की स्थिति में सुधार के कार्य भी किए गए हैं, जिसमें पौधरोपण, विशेषतौर पर फलदार पौधों के रोपण कार्य तथा वनों में साफ-सफाई तथा वन अग्नि रोकथाम के उपायों पर भी व्यय किया गया है। योजना के तहत वन विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 में 2.76 करोड़ रुपये व्यय किए गए, जिसमें लगभग 110 छोटे-बड़े तालाब, 600 विभिन्न प्रकार के चैक डैम व चैक वॉल, 12 हजार कन्टूर ट्रैंच के साथ-साथ पौधरोपण इत्यादि के कार्य शामिल हैं। आगामी वर्षों में योजना के तहत अन्य वन मण्डलों को भी शामिल किया जाएगा तथा जल एवं मृदा संरक्षण के कार्यों के अतिरिक्त पौधरोपण जैसे कार्यों पर बल दिया जाएगा। पर्वतों में जल धारा की निरन्तरता को बनाए रखने में ऊंची चोटियों पर बर्फ तथा वनों में जल संरक्षण की आवश्यकता है। इस दिशा में जलवायु परिवर्तन को रोकने अथवा उसकी गति को धीमी करने की आवश्यकता है, जो पौधरोपण, वन संरक्षण तथा वन आवरण में सुधार जैसे कार्यों के द्वारा किया जा सकता है। वनों में मृदा एवं जल संरक्षण कार्यों से भी वनों के आवरण में सुधार लाया जा सकता है। इन सभी कार्यों के द्वारा भूमि में जल को अधिक समय तक रोकर, जल स्तर को बढ़ाया जा सकेगा तथा प्राकृतिक स्रोतों के जीर्णोद्धार से स्थानीय लोगों को सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता एवं निरन्तरता को भी बनाया जा सकेगा।

hpexams.in

नयी शिक्षा नीति एवं राष्ट्रीयता

शिक्षा मानव मूल्यों का ज्ञान कहा जा सकता है। सामाजिक व्यवस्था के लिए शिक्षा की आवश्यकता मानी गई है। शिक्षा से समाज देश और संस्कृति समृद्ध बनती है। शिक्षा औपचारिक होती है तथा अनौपचारिक रूप से मनुष्य समाज से स्वाभाविक रूप से भी शिक्षा ग्रहण करता है। समाज में भाईचारे, शान्ति और परस्पर प्रेम-सद्भाव की भावना व्यक्ति अनौपचारिक रूप से ही सीख पाता है। प्रत्येक देश में राष्ट्रीय हितों के अनुसार शिक्षा प्रणाली होती है। भारतवर्ष में शिक्षा प्रणाली विकसित और समृद्ध रही है। वैदिक काल से छठी शताब्दी ईसा तक हमारे देश में गुरुकुल और आश्रमों की शिक्षा रही है, जिसके फलस्वरूप ऋषि-परम्परा में दिव्य आध्यात्मिक साहित्य वेद, उपनिषद, गीता, महाभारत, रामायण पुराण, बौद्ध जैन साहित्य रचा गया। आध्यात्मिक साहित्य ही नहीं, आयुर्वेद, योग, भवन निर्माण, पाकशास्त्र, काव्य, नाटक आदि उस युग की शिक्षा प्रणाली की श्रेष्ठता प्रमाणित करते हैं।

शिक्षा शासन के अनुकूल होती है, अतः राजनेता राष्ट्रीय हितों के दृष्टिगत शिक्षा-व्यवस्था करते हैं। प्राचीन यूनान में हम देखते हैं कि राजकीय तौर पर बालकों को सैनिक शिक्षा दी जाती थी। यूनान की लड़ाइयां सभी पर्वतीय राज्यों स्पार्टा, पश्चिमी एशिया के देशों से होती रहती थीं। अतः वे शिशुकाल में ही बच्चों को कठोर बनाने की शिक्षा देते थे। हमारे देश में भी धनुर्विद्या, गदायुद्ध, मल्लयुद्ध के नियमों के अनेक ऐतिहासिक उदाहरण मिलते हैं। उस काल में राष्ट्र या राज्य की रक्षा के लिए युद्ध विद्या जरूरी भी थी।

बौद्ध काल में भी साहित्य एवं पुराणों की रचना घरों-अरण्यों में होती रही। यह इस काल का सुखद पहलू रहा कि बौद्ध शासकों चन्द्रगुप्त अशोक, कनिष्क, हर्ष आदि ने बौद्ध जैन धर्म को प्रश्रय तो दिया किन्तु हिन्दू देवस्थलों को हानि नहीं पहुंचाई। तक्षशिला, नालन्दी, बल्लभी, पाटलिपुत्र, विक्रम शिला आदि के महाविद्यालयों में सभी धर्मों, आयुर्वेद, ज्योतिष, वास्तुविज्ञान, पाकविद्या, नृत्यकला, युद्धविद्या आदि की शिक्षा दी जाती रही थी। तुर्क, मुगलों आदि ने यहां के धर्म और शिक्षा को बिल्कुल उपेक्षित कर दिया। उसके पश्चात् अंग्रेजों ने यहां की राजनीति, समाज और शिक्षा का पश्चिमीकरण करने में कोई कसर न छोड़ी। भारतीय इतिहास की अपने हितों के कारण व्याख्या की और प्रचार-प्रसार किया। अतः वर्तमान राज्य में भारतीय शिक्षा प्रणाली 'भारतीयता', 'राष्ट्रीयता' और पारम्परिक श्रेष्ठ जीवन मूल्यों से वंचित हो गई।

आजादी के समय भारत की साक्षरता दर 17 प्रतिशत से भी कम थी, वह भी केवल पत्र-लिखने-पढ़ने तक सीमित थी। लार्ड मैकाले ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों के लिए क्लर्क बनाने के लिए अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था की जो वर्तमान तक प्रभावी रही है। भारतीय परिवेश, राष्ट्रीयता एवं हितों के लिए अपनी शिक्षा पद्धति की आवश्यकता थी, अतः गांधी जी ने निरक्षरता दूर करने के लिए 'बुनियादी शिक्षा' का विचार दिया लेकिन इसे भी शीघ्र ही कताई-बुनाई के योग्य ही समझा गया। बुनियादी शिक्षा के पश्चात् राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा के लिए समय-समय पर शिक्षा आयोग गठित हुए। 4 नवम्बर, 1948 को डॉ. राधाकृष्णन आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के रूप में गठित हुआ जिसने विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए सुझाव दिए। सितम्बर, 1952 में लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक स्तर की शिक्षा के सुझाव दिए। 1964-66 में कोठारी कमीशन ने 10+1+3 की शिक्षा का सुझाव दिया।

1984-86 में नयी शिक्षा नीति के अनुसार 10+2+3 की शिक्षा पद्धति के व्यापक सुझाव दिए गए। प्रायः सभी ने पाठ्यक्रमों में विज्ञान, गणित, अंग्रेजी भाषा तथा रोजगारमूलक शिक्षा की संस्तुति की। भाषा तथा संस्कृति के महत्त्व पर विचार तो किया गया किन्तु अनुकूल पाठ्यक्रम प्रस्तुत नहीं किए गए। परिणामस्वरूप 10+1+3 तथा 10+2+3 वर्षों के शिक्षण से क्लर्क, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर तो बनते गए लेकिन राष्ट्रीय चरित्र तथा सामाजिक भावना का भाव पढ़े-लिखे लोगों में भी नहीं दिखाई दिया। पश्चिमी शिक्षा प्रणाली तथा विचारधारा के कारण पढ़े-लिखे लोगों में अंग्रेजी भाषा तथा सभ्यता के संस्कार ही विकसित हुए। डिग्री केवल रोजगार का साधन बनी। राष्ट्रीय चेतना के अभाव में रिश्वतखोरी, भाई भतीजावाद तथा भ्रष्टाचार का बोलबाला हुआ। पश्चिमी शिक्षा तथा अंग्रेजी माध्यम के कारण भारतीय राष्ट्रीयता के अभाव आज भी पढ़े-लिखों में दिखाई देता है।

नयी शिक्षा नीति में प्राथमिक स्तर से ही रटन पद्धति के स्थान पर तकनीकी ज्ञान बढ़ेगा। वह अपनी रुचि के अनुसार विषय लेकर रोजगार मूलक ज्ञान प्रारम्भ से ही विकसित कर सकेगा। वैज्ञानिक विषयों के साथ वह इतिहास, भाषा एवं राजनीति विज्ञान भी पढ़ सकेगा।

अमर देव आंगिरस

इन बिंदुओं पर विचार करने के पश्चात् शिक्षाविदों ने पाठ्यक्रमों में नैतिक शिक्षा तथा राष्ट्रीय चरित्र पैदा करने के लिए नये सुझाव दिए हैं।

भारतीय सरकार ने 'नयी शिक्षा नीति-2020' के अनुसार भारतीय परिवेश, संस्कृति तथा मातृभाषाओं के माध्यम से शिक्षा की संस्तुति की है। तकनीकी शिक्षा तथा आत्मनिर्भरता के लिए वैज्ञानिक सोच के लिए विशेष कार्ययोजना प्रस्तुत की है।

यह सर्वमान्य तथ्य है कि बालक अपनी मातृभाषा या मां की बोली में सहज स्वाभाविक रूप से अपने परिवेश को जान लेता है जबकि विदेशी भाषा उसके लिए थोपी हुई लगती है। अपने से बड़ों का सम्मान, सहयोग की भावना, अपने महापुरुषों, परम्पराओं का ज्ञान वह अपने आख्यानों, लोक कथाओं, त्योहारों, परंपराएं कल्पना से अधिक कुछ नहीं होती। राष्ट्रीयता की भावना जो उसे अपने महापुरुषों गांधी, सुभाष, भगत सिंह, झांसी की रानी, शिवा, प्रताप, विक्रमादित्य, भोज, हर्ष आदि से मातृभाषा के माध्यम से मिलता है। वह सिकन्दर, नेपोलियन, जार्ज वाशिंगटन, अकबर, बाबर से बिल्कुल नहीं मिलती। राजा रानी की कहानियां, हितोपदेश, पंचतंत्र, जातक कथाएं, रामायण, महाभारत कथाएं उसकी माटी की गंध के रूप में उसे प्रेरित करती है। सिण्ड्रेला, स्नोव्हाइट, रेपंजल, टिंकर बैल, जोस्मिन आदि राजकुमारियों की कथाएं बेशक बच्चों में लोकप्रिय है, किन्तु विदेशी मिट्टी से जुड़ी होने के कारण उनका ही महत्त्व बढ़ाती है। अंग्रेजी भाषा माध्यम के कारण पश्चिमी नायकों, योद्धाओं को ही अधिक महत्त्व मिल सका है।

आज सरकार ने नयी शिक्षा नीति के अंतर्गत 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण शारीरिक आधार पर 5+3+3+4 की नई व्यवस्था की स्वीकृति दी है। पहले 3 वर्ष आंगनबाड़ी-बालवाड़ी अथवा प्री-स्कूल। इस व्यवस्था में 5वीं कक्षा तक, 8वीं तथा आगे भी मातृभाषा स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा को शिक्षण की स्वीकृति दी है। अंग्रेजी भाषा थोपी नहीं जाएगी। अपनी मातृभाषा के माध्यम से छात्र अपनी परम्पराओं एवं इतिहास को जानने में पारंगत होगा जिससे अपने देश की माटी के प्रति उसका अटूट प्रेम उत्पन्न होगा। विदेशी मानसिकता से छुटकारा मिलेगा। पाठ्यक्रमों में भारतीय ऐतिहासिक नायकों, वीरों, राजाओं के प्रति सम्मान पैदा होगा।

नयी शिक्षा नीति में प्राथमिक स्तर से ही रटन पद्धति के स्थान पर तकनीकी ज्ञान बढ़ेगा। वह अपनी रुचि के अनुसार विषय लेकर रोजगार मूलक ज्ञान प्रारम्भ से ही विकसित कर सकेगा। वैज्ञानिक विषयों के साथ वह इतिहास, भाषा एवं राजनीति विज्ञान भी पढ़ सकेगा। इस नीति के अनुसार विद्यार्थी 5+3+3+4 के पश्चात् व्यावसायिक विषय एवं साथ ही बी.एड. डिग्री आदि प्राप्त करके अपने व्यवसाय के लिए कुशल हो सकेगा। इसका उद्देश्य भी आत्मनिर्भर बनना है।

आपदा मोचक एनडीआरएफ बटालियन

योग राज शर्मा

आपदाओं के आने का वैसे तो कोई निश्चित समय नहीं होता। ये कभी भी दस्तक दे सकती हैं। कई बार तो भयंकर तबाही लेकर आती हैं। जानमाल का भी भारी नुकसान हो जाता है। ऐसी अप्रत्याशित आपदाओं को रोकने व उनसे होने वाली हानि को न्यूनतम स्तर तक लाने के लिए देश में राष्ट्रीय स्तर पर आपदा मोचन बल की स्थापना वर्ष 2006 में की गई थी। देश के विभिन्न हिस्सों में इस आपदा मोचन बल की तैनाती की गई है। हिमाचल में भी इंसानी व प्राकृतिक आपदा को रोकने के लिए इसकी एक पूरी बटालियन यहां स्थापित करने के लिए केन्द्र से स्वीकृत हुई है। प्रदेश में एनडीआरएफ की बटालियन की शीघ्र स्थापना के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। इसके लिए भूमि स्थानांतरण की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। सरकार एनडीआरएफ को भूमि स्थानांतरित करने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। प्रदेश के लिए स्वीकृत नई बटालियन को मण्डी में स्थापित किया जा रहा हिमाचल प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और आपदा सम्भावित क्षेत्रों के दृष्टिगत केन्द्र सरकार ने एनडीआरएफ की बटालियन स्वीकृत की है। मण्डी जिले में इसका मुख्यालय स्थापित होने के साथ-साथ रामपुर, नूरपुर और बद्दी में तीन क्षेत्रीय प्रतिक्रिया केन्द्र भी स्थापित किए जाएंगे। औद्योगिक विपत्ति की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए बटालियन का क्षेत्रीय त्वरित केन्द्र बद्दी में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

मण्डी जिले में मुख्यालय और रामपुर, नूरपुर व बद्दी में क्षेत्रीय केंद्र होंगे स्थापित

हिमाचल में राष्ट्रीय आपदा मोचनबल (एनडीआरएफ) की बटालियन के साथ ही प्रदेश में राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) की पहली प्रशिक्षण अकादमी स्थापित की जा रही है। एनएससी प्रशिक्षण अकादमी के लिए सरकार ने बल्ह हलके के ख्यूरी दोम में करीब 42 बीघा भूमि चिन्हित की है। इसमें 17-19-19 बीघा भूमि शिक्षा विभाग के नाम हस्तांतरित कर दी है।25-09-16 बीघा भूमि का वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) के तहत केस बनाकर मंजूरी के लिए केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भेजा गया है। अकादमी स्थापित होने से प्रदेश के एनसीसी कैडेट्स को प्रशिक्षण के लिए पंजाब की रूपनगर अकादमी में नहीं जाना पड़ेगा। ख्यूरी दोम में बनने वाली अकादमी में साल भर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलता रहेगा। प्रशिक्षण के लिए प्रदेशभर से कैडेट्स ख्यूरी अकादमी में आएंगे। इससे यहां के लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। स्कूलों में (शेष पृष्ठ 11 पर)

सतत विकास में उल्लेखनीय उपलब्धि

आज हम दुनिया का कायाकल्प करने की दहलीज पर खड़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से 17 सतत विकास लक्ष्यों की ऐतिहासिक योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक अधिक सम्पन्न व अधिक संरक्षित विश्व की रचना करना है। भारत सरकार सतत विकास लक्ष्य संहिता 2030 के एजेंडा के प्रति दृढ़ता से समर्पित है। भारत में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय रूप में ढालने के लिए राज्य सरकारों को समर्थन दे रहा है ताकि राज्य स्तर पर विकास की प्रमुख चुनौतियों का समाधान हो सके। सतत विकास लक्ष्य स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ पानी, स्वच्छता, भूख और गरीबी जैसे मानकों के आधार पर रखा जाता है। इन लक्ष्यों की दिशा में प्रगति की कुंजी राज्य सरकारों के हाथ में होती है क्योंकि वही जनहित की प्राथमिकता और यह सुनिश्चित करने में सबसे अधिक समर्थ है। केन्द्र सरकार द्वारा चलाये गए प्रमुख कार्यक्रम जैसे स्वच्छ भारत, मेक इन इण्डिया, स्किल इण्डिया और डिजिटल इण्डिया सतत विकास लक्ष्यों के मूल में हैं। राज्य और स्थानीय सरकारें इनमें से अनेक कार्यक्रमों में मुख्य भूमिका निभाती हैं। सतत विकास लक्ष्यों को लेकर नीति आयोग द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए जारी सूचकांक में राज्य व केन्द्र शासित प्रदेशों का सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मानकों यानि प्रतिस्पर्धा, प्रदर्शन, सबसे आगे चलने व निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंकों पर प्रगति का आकलन किया है। उल्लेखनीय है कि भारत में संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से विकसित एस.डी.जी. इण्डिया इंडैक्स द्वारा सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों की प्रगति को उन 115 संकेतकों पर आंका जाता है जो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क से जुड़े हैं। हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य द्वारा इस दिशा में किए जा रहे कार्य सराहनीय है। वर्ष 2020-21 के लिए सतत विकास लक्ष्यों में हिमाचल का प्रदर्शन अन्य कई राज्यों के मुकाबले बेहतर रहा है। विकास की दौड़ में हिमाचल प्रदेश पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तराखण्ड व जम्मू कश्मीर को पछाड़ते हुए पिछले साल के मुकाबले पांच अंक की छलांग लगाकर 74वीं रैंकिंग पर पहुंच गया है तथा पहाड़ी राज्य की श्रेणी में अव्वल रहा है जबकि अन्य राज्यों में देशभर में केरल के बाद दूसरा स्थान प्राप्त किया है। जीडीसी इण्डिया के तय मानकों की श्रेणी में केरल से मात्र एक अंक पिछड़ जाने के बावजूद सारे उतरी पूर्वी एवं पहाड़ी राज्यों में हिमाचल का दूसरे स्थान पर आना बहुत बड़ी उपलब्धि है। हिमाचल ने स्वास्थ्य, शिक्षा व जीवन स्तर के मामले में काफी सुधार किया है। इन तीनों मानकों में हिमाचल ने केरल की बराबरी की है। आधारभूत ढांचा और औद्योगिक विकास के मामले में मामूली अन्तर से प्रदेश को दूसरा स्थान हासिल हुआ है। हिमाचल ने 14 मानकों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। प्रदेश में गरीबी, भुखमरी, सामाजिक असमानता न के बराबर दर्ज की गई है जबकि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, लिंग समानता, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, उद्योग, नवाचार एवं आधारभूत ढांचा यहां काफी मजबूत हुआ है। शहरी एवं सामुदायिक विकास, जिम्मेदार उपयोग एवं उत्पादन, पर्यावरणीय प्रयास, शांति, न्याय एवं सुदृढ़ संस्थापन, गुणात्मक शिक्षा, काम की उत्कृष्टता एवं आर्थिक विकास के क्षेत्र में हिमाचल ने दूसरे राज्यों से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है। हिमाचल ने लोगों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा मुहैया करवाने में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। प्रदेश ने प्रशासनिक सेवा में भी बेहतर कार्य किया है जिस कारण यहां पर आर्थिक विकास में तेजी आई है। हिमाचल उद्योग एवं कारोबार करने वालों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने वाले ऐसे राज्यों में शामिल है, जहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति अन्य राज्यों से बेहतर है। सरकार ने राज्य में ई-गवर्नेंस के सफल क्रियान्वयन के लिए कई कदम उठाए हैं। इससे पहले भी हिमाचल प्रदेश को कई क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने पर पुरस्कृत किया गया है। सूचकांक के तहत वैश्विक लक्ष्यों के आधार पर रैंकिग दिए जाने से राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा और यह तभी सम्भव हो पाएगा जब हम सभी ईमानदारी से सरकार के साथ मिलकर अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करेंगे।

केन्द्र से स्वीकृत हुईं194.58 करोड़ की परियोजनाएं

भारत सरकार ने गत दिनों प्रदेश के लिए केन्द्रीय सड़क एवं अधोसंरचना निधि (सीआरआईएफ) के तहत 194.58 करोड़ रुपये की लागत की 12 परियोजनाएं स्वीकृत की हैं।

मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर ने कहा कि हाल ही में दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने केन्द्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से इन परियोजनाओं की स्वीकृति का मामला उठाया था। भारत सरकार द्वारा इन 12 परियोजनाओं की स्वीकृति का श्रेय मुख्यमंत्री के निरंतर प्रयासों को जाता है। मुख्यमंत्री ने इन महत्त्वाकांक्षी परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान करने के लिए भारत सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह परियोजनाएं सड़कों की गुणवत्ता में सुधार के अतिरिक्त प्रदेशवासियों को बेहतर सम्पर्क सुविधाएं प्रदान करने में उपयोगी होंगी। उन्होंने कहा कि सड़कें पहाड़ी क्षेत्रों की जीवन रेखाएं हैं और क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए आवश्यक हैं। आर्थिक विकास और उन्नति में सड़कों का महत्त्वपूर्ण योगदान है।

सड़क परियोजनाओं की गुणवत्ता में आएगा सुधार

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं में जिला सिरमौर में मारकण्डा नदी पर 16.62 करोड़ रुपये की लागत का 80 मीटर लम्बा पुल व गुरुद्वारा साहिब एनएच-07 से मारकण्डा नदी पर खड्ड के ऊपर 27.60 मीटर लम्बा पुल, जिला मण्डी में धर्मपुर सन्धोल सड़क पर कोठीपतन में ब्यास नदी पर 22.82 करोड़ रुपये की लागत वाला 150 मीटर लम्बा फुटपाथ सहित डब्बललेन पुल, जिला सिरमौर में मोगीनन्द से सुकेती सड़क पर मारकण्डा नदी पर 10.07 करोड़ रुपये की लागत वाला 60 मीटर लम्बा पुल, कांगड़ा जिला में आरा चौक से जोरावर सड़क के सुधार कार्य, विस्तारीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए 8.39 करोड़ रुपये की परियोजना, जिला मण्डी में थलौट में ब्यास नदी पर 14.60 करोड़ रुपये की लागत के फुटपाथ सहित 85 मीटर लम्बा डब्बललेन प्री-ब्रिज की प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट और 21.03 करोड़ रुपये की लागत से कांगड़ा जिला में परौर धीरा नौरा सड़क से पूर्वा सड़क का विस्तारीकरण और सुदृढ़ीकरण शामिल हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने जिला किन्नौर में कड़छम सांगला छितकुल सड़क के सुधार कार्य व विस्तारीकरण के लिए 15.56 करोड़ रुपये, कांगड़ा जिला में आलमपुर हारसीपतन सड़क के सधार कार्य व सुदृढ़ीकरण के लिए 31.63 करोड़ रुपये, जिला हमीरपुर में सुजानपुर से हमीरपुर वाया कोट चौरी पटलान्दर छमियान सड़क के सुधार कार्य और विस्तारीकरण के लिए 32.66 करोड़ रुपये, जिला मण्डी में लम्बाथाच में बेखली खड्ड के ऊपर फुटपाथ सहित 40 मीटर लम्बे डब्बललेन पुल की प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट 8.03 करोड़ रुपये, जिला शिमला में 62 मीटर लम्बे डब्बललेन कॉम्पोजिट स्टील गर्डर पुल के निर्माण के लिए 8.37 करोड़ रुपये और जिला चम्बा में चम्बा साहू कीड़ी सड़क पर सरोठा नाला पर बनने वाले 40 मीटर लम्बे (शेष पृष्ठ 7 पर)

सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर 1050 करोड़ व्यय

प्रदेश में 6.60 लाख पात्र व्यक्ति हो रहे लाभान्वित

मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर ने गत दिनों शिमला में कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के कल्याण एवं सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। उनका सामाजिक-आर्थिक उत्थान सुनिश्चित करने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। राज्य सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के दो बच्चों को दी जाने वाली जन्मोत्तर अनुदान राशि को 12,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये किया है। यह धनराशि जन्म के समय जन्मोत्तर अनुदान राशि और छात्रवृत्ति योजनाओं को युक्तिसंगत और एकीकृत कर सावधि जमा के रूप में प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार 70 वर्ष से अधिक आयु के पात्र वरिष्ठ नागरिकों को 1500 रुपये प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान कर रही है। इस वर्ष से सरकार ने स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना के तहत 65 से 69 वर्ष की आयु वर्ग की पात्र वृद्ध महिलाओं के लिए बिना किसी आय सीमा से सामाजिक सुरक्षा के दायरे का विस्तार करने का निर्णय लिया है। इससे लगभग 60 हजार पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये की सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जाएगी। प्रदेश में 6.60 लाख लोगों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत कवर किया जा रहा है, जिस पर प्रतिवर्ष 1050 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं। इसी प्रकार राज्य सरकार ने सभी बीपीएलपरिवारों की लड़कियों को उनकी शादी के समय 31,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 'शगुन' योजना भी शुरू की है। राज्य सरकार समाज के सभी पात्र कमजोर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी प्रदान कर रही है। वर्तमान में 875 करोड़ रुपये व्यय कर 5.77 लाख लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 40,000 अतिरिक्त लाभार्थियों को कवर किया जाना भी प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि गृहिणी सुविधा योजना के तहत महिलाओं के लिए वरदान साबित हुई है। योजना के तहत 2.92 लाख परिवारों को मुफ्त गैस कुनैक्शन दिया गया है।

'गृहिणी सुविधा' योजना के तहत 2.92 लाख को मुफ्त घरेलू गैस कुनेक्शन